तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /टीए/7224/2006/भरतपुर** **राजस्थान सरकार बनाम सत्यवीर सिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री जानी सिंह, उप राजकीय अधिवक्ता।

अधिवक्ता अप्रार्थी व अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

—

आदेश

दिनांकः— 16.03.2026

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं सपठित धारा 232 राज0काश्त0अधि0 1955 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, भरतपुर ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 28.07.2006 द्वारा मंडल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, नदबई ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 एवं सपठित धारा 232 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय का पेश किया कि विवादित गत आराजी खसरा संख्या 3845–0.29, 3846–02.03,, 3897–01.11, 3896–0.11, 2898–0.13, 3899–01.02, 3901–0.15, 3954–0.09, 3956–0.15, 3957–0.11, 3662–1.09 कुल 24 किता 24 रकबा 59. 13 बीघा वाकै कबई के एक दावा वादी सत्यवीर के द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई के समक्ष पेश किया गया, जिसमें आराजी मुतनाजा से 1/2 हिस्सा की आराजी उसने संवत् 2032 में बदन व बच्चू व प्रताप से लगान पर ली थी और कब्जा प्राप्त किया था। प्रतिवादीगण बदन व बच्चू एवं वेदप्रकाश सभी ने इकवाल दावा प्रस्तुत किया। वाद पत्र में आराजी मुतनाजा संवत् 2030 में शिकमी काश्त कर देना बतलाया है, लेकिन इस हेतु कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया। अधी0न्याया0 ने बिना किसी रिकार्ड के डिक्री पारित की है जो गैरकानूनी है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.04.91 को निरस्त किया जाकर उक्त डिक्री के आधार पर स्वीकृत किए गए नामांतकरणों को निरस्त किए जाने का निवेदन किया। जिस पर न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा प्रकरण को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /टीए/7224/2006/भरतपुर** **राजस्थान सरकार बनाम सत्यवीर सिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 व सपठित धारा 232 राज0काश्त0अधि0 के अन्तर्गत परीक्षण करते हुये रेफरेन्स स्वीकार कर रेफरेन्स मण्डल को अभिशंषित किया गया है। विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई । विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस में अभिकथन किया कि प्रार्थी/वादी ने विवादित आराजी कुल किता 24 कुल रकबा 59 बीघा 13 बिस्वा वाकै ग्राम कबई ने एक दावा अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के विरूद्ध सहायक कलक्टर, नदबई के न्यायालय में पेश किया जिसमें राज0 जमींदारी उन्मूलन कानून जारी होने के पूर्व श्री श्यामलाबाबावादी लीला प्रकाश, सूरज, हरचंद आदि मालिक खेवटदार थे। संवत् 2010 में धर्मसिंह जाट निवासी जघीना तहसील भरतपुर एवं श्री जगराम पुत्र रामचन्द्र ने तत्कालीन मालीकान से लगान पर काश्त आराजी लेना बताया है। जमाबंदी संवत् 2043–2043 ग्राम कवई संख्या 2 तहसील नदबई के कॉलम संख्या 4 में वेदप्रकाश पुत्र रमेशचन्द्र निस्फ, हरीसिंह परताप पिसरान रामजीलाल बहिस्सा बराबर निश्फ जाति जाट साकिन देह खातेदार राहिन वेदप्रकाश भूमि विकास बैंक नदबई मुरतहन का इन्द्राज हो रहा है। विचारण न्यायालय ने मात्र प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत इकवाल दावा के आधार पर विवादित आराजी कुल किता 24 रकबा 59 बीघा 13 बिस्वा ग्राम कवई तहसील नदबई के 1/2 भाग पर वादी को बहैसियत उपकृषक काश्तकार घोषित कर कृषि भूमि के हस्तांतरण से होने वाली पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क आय से राज्य सरकार को वंचित किया है। वादी उपकृषक होने को कोई हक नहीं रखता है और ना ही नियमों के तहत उसे शिकमी काश्तकार दर्ज किया जा सकता है। अप्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर दावा डिक्री करवाया है जो कृषि भूमि के हस्तांतरण की परिधि में आता है, जिससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.04.91 को निरस्त किया जावें तथा उक्त निर्णय की पालना में स्वीकृत किए गए समस्त नामांतकरणों को निरस्त किया जावें। हमनें विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया और न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर की पत्रावली में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /टीए/7224/2006/भरतपुर** **राजस्थान सरकार बनाम सत्यवीर सिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संलग्न दस्तावेजात व निर्णयों का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.04.91 के विरूद्ध पेश किया गया है। गौरतलब है कि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादी द्वारा पूर्व सुनियोजित तरीके से कृषि भूमि के हस्तांतरण से बचने के लिए अवैधानिक ढंग से दावा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्रतिवादी द्वारा इकवाली दावा प्रस्तुत कर दावा डिक्री कराया गया। उक्त क्रम में पत्रावली में राजस्व अभिलेख में मात्र जमाबंदी संवत् 2043–46 ग्राम कवई संख्या 2 है जिसके कॉलम संख्या 4 में वेदप्रकाश पुत्र रमेशचन्द निस्फ हरीसिंह, परताप पिसरान रामजीलाल बहिस्सा बराबर निस्फ जाति जाट साकिन देह खातेदार राहिन वेदप्रकाश भूमि विकास बैंक शाखा नदबई मुरतहन का इन्द्राज है। इससे स्पष्ट है कि वादी का उक्त आराजी से कोई सरोकार नहीं है रहा है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने कृषि भूमि पर अवैधानिक रूप से अप्रार्थीगण का वाद डिक्री करके उन्हें खातेदारी अधिकारी दिए है जिससे कृषि भूमि के हस्तांतरण से होने वाले पंजीयन शुल्य व स्टाम्प शुल्क की आय से राज्य सरकार को हानि पहुंचाई गई है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा संवत् 2030 में शिकमी काश्त कर देना बतलाया गया है लेकिन इसके संबंध में कोई भी जमाबंदी, खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की गई है तथा ना ही लगान की राशि का विवरण अंकित किया गया है। राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 45 के प्रावधानों के अनुसार खातेदार 5 साल के लिए उपकृषक को काश्त करने के लिए अपनी खातेदारी की भूमि दे सकता है। जहां तक शिकमी काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रश्न है इस संबंध में विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि शिकमी काश्तकार किसी भी आराजी पर बतौर किरायेदार स्थापित रहता है अर्थात् निर्धारित समयावधि के लिए आराजी जैर पर बतौर काश्त करने के लिए अधिकृत रहता है ना कि वह बतौर खातेदार काश्तकार है । ऐसी भूमि पर अप्रार्थीगण को कानूनी रूप से कोई अधिकारी प्राप्त नहीं होते हैं। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण किए बिना ही निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किए जाने योग्य प्रतीत होता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /टीए/7224/2006/भरतपुर** **राजस्थान सरकार बनाम सत्यवीर सिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	फलस्वरूप न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 28.07.2006 के क्रम में मण्डल के समक्ष प्रस्तुत यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.04.91 को निरस्त किया जाता है तथा साथ ही उक्त निर्णय एवं डिक्री की पालना में स्वीकृत किए गए समस्त नामांतकरणों एवं इन्द्राजों को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	